न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 11/2011 एलआर एक्ट **GCMS No. 2011/00043**

1. सीतादेवी बेवा
2. मेघराज पुत्र

} बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चरकड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. अमरूराम पुत्र रेखाराम जाति ब्राहमण साकिन चरखड़ा त. नोखा जिला बीकानेर।
2. बाबूलाल पुत्र सीता देवी पुत्री बख्ताराम ब्राहमण साकिन चरखड़ा त. नोखा
3. आशकरण पुत्र सीता देवी पुत्री बख्ताराम ब्राहमण साकिन चरखड़ा त. नोखा
4. कमला बेवा कानीराम पुत्र सीता देवी पुत्री बख्ताराम ब्राहमण साकिन चरखड़ा त. नोखा

5 सत्यनारायण
6 किसनाराम
7 मु. मोहनी

} बेवा एवं पुत्रगण बंशीधर जाति ब्राहम्ण सा. चरकड़ा तहसील नोखा

8 मु. विमला
9 मु. कौसल्या
10 मु. मैना

} पुत्रिया बाबूलाल जाति ब्राहम्ण साकिन चरकडा त. नोखा।

11 राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट् — जयचन्द सारस्वत
अभिभाषक रेस्पो. सं. 11 — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 10.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार, नोखा के आदेश दिनांक 18.08.2003 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम चरकड़ा तहसील नोखा के खसरा नंबर 1228, 1230, 1233/1, 1272, 1454, 1507, 1508, 1652/1, 2042/1334 की कुल 27.98 हेक्टयर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा ने उक्त वादगत भूमि का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इंतकाल संख्या 325 दिनांक 18.08.2003 उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 20.12.2002 की पालना में दर्ज किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा के उक्त इंतकाल संख्या 325 दिनांक 18.08.2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है अपीलाधीन इंतकाल संख्य 325 दिनांक 18.08.2003 में दर्ज मुरलीधर पुत्र गणेशाराम की मृत्यु हो चुकी है। उसकी एक मात्र वारिस उसकी पुत्री का भी देहान्त हो चुका है। उक्त अपीलाधीन इंतकाल उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश की पालना में दर्ज किया गया है जबकि उकस आदेश की राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील कर रखी हैं जो अब राजस्व मंडल अजमेर में जैरकार है। जब किसी वाद की अपील उससे उची अदालत में चल रही हो तो निचली अदालत में उससे संबंधित कोई कार्यवाही नही करनी चाहिए। ऐसा आदेश हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने इंतकाल दर्ज करने से पूर्व न तो कोई मौके की जांच की न ही कब्जा कास्त बाबत कोई जांच की ना ही रिकॉर्ड की जांच की यहां तक इंतकाल चुपचाप दर्ज कर दिया जिसकी सूचना भी किसी को नही दी। अतः अपीलधीन इंतकाल संख्या 325 निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार नोखा ने उक्त इंतकाल उपखण्ड अधिकारी नोखा की पालना में दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलांट किसी सक्षम न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 20.12.2002 को निरस्त नही करवाया है। तब तक अपीलाधीन इंतकाल को निरस्त नही किया जा सकता है। तहसीलदार नोखा ने उक्त इंतकाल संख्या 325 नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए दर्ज किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर इंतकाल संख्या 325 दिनांक 18.08.2003 यथावत रखा जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। उक्त इंतकाल संख्या 325 दिनांक 18.08.2003 उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 20.12.2002 की पालना में दर्ज किया गया है। अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी नोखा का आदेश दिनांक 20.12.2002 किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया हैं। ऐसी स्थिति में जब तक उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 20.12.2002 को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त आदेश की पालना में दर्ज इंतकाल को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा के अपीलाधीन इंतकाल संख्या 325 दिनांक 18.08.2003 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा का अपीलाधीन इंतकाल संख्या 325 दिनांक 18.08.2003 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

4— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर